भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1836
दिनांक 11 दिसम्बर, 2024/ 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

ऑनलाइन माध्यमों से फैल रही कट्टरता के खतरे को रोकना

1836 श्री राजीव शुक्लाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ऑनलाइन माध्यमों से फैल रही कट्टरता से संबंधित खतरे, जिसे 19वीं इंटरपोल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स में उजागर किया गया है, को रोकने के लिए उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उपायों के परिणामस्वरूप इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इन खतरों को रोकने में किन-किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): फ्रांस के ल्योन में 19वें इंटरपोल एनसीबी प्रमुखों के सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सभी प्रतिनिधिमंडलों पर प्रभावी ढंग से ज़ोर दिया कि ऑनलाइन कट्टरपंथ वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस खतरे से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जो चरमपंथी सामग्री की आपूर्ति और मांग दोनों का निपटान करे। भारत के लिए ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई इंटरपोल के साथ जुड़ी हुई है। 18-21 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा के दौरान, इंटरपोल ने पहली बार मेटावर्स का अनावरण किया, जिसे विशेष रूप से दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद, जनवरी 2024 में, इंटरपोल ने मेटावर्स पर कानून प्रवर्तन के दृष्टिकोण पर एक श्वेतपत्र जारी किया और कट्टरपंथ के मुद्दे की पहचान करते हुए कहा कि आतंकवादी ऑनलाइन भर्ती, कट्टरपंथ, प्रशिक्षण और व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए मेटावर्स का लाभ उठा सकते हैं।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 1836 दिनांक 11.12.2024

इस संबंध में, समग्र और समन्वित तरीके से कट्टरपंथ से जुड़े कई जोखिम कारकों को सामूहिक रूप से संबोधित करने और कट्टरपंथ से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र और रणनीति स्थापित करने के लिए, कट्टरपंथी संगठनों के सम्बन्ध में इनपुट सहित जानकारी साझा करने के लिए सभी हितधारकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अन्य समान तत्वों के साथ जुड़ने के लिए कट्टरपंथी तत्वों द्वारा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ व्हाट्सएप के अतिरिक्त सिग्नल, टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब जैसे अधिक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है।

चूंकि कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार के लिए साइबर प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग मुख्य उपकरण है, इसलिए साइबर स्पेस की लगातार निगरानी की जा रही है। साइबर गश्त नियमित आधार पर की जाती है जिस से ऐसी सामग्री और संस्थाओं की पहचान और निगरानी की जा सके जो भोले/अवसादग्रस्त/अलग-थलग युवाओं को लक्षित कर रहे हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले सांप्रदायिक और भारत विरोधी प्रचार में सम्मिलित वेबसाइटों/खातों की पहचान की जा रही है और कार्रवाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के अधीन निर्देश जारी करता है, जो सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों, जैसे (i) भारत की संप्रभुता और अखंडता (ii) भारत की रक्षा (iii) राज्य की सुरक्षा (iv) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (v) सार्वजनिक आदेश और (vi) उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने हेतु उकसाने को रोकने हेतु, सार्वजनिक पहुंच से जानकारी को अवरुद्ध करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, जैसा की, सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 में निहित है, करने का अधिकार प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के अधीन, गृह मंत्रालय के 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)' को भी मध्यस्थों/प्लेटफार्मों को गैरकानूनी सामग्री हटाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निष्कासन आदेश जारी करने हेतु एक संस्था के रूप में अधिकृत/नामित किया गया है।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 1836 दिनांक 11.12.2024

वर्तमान में, राज्य पुलिस के अतिरिक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ऑनलाइन कट्टरपंथ से संबंधित 67 मामलों की जांच कर रहा है । इन मामलों में, 325 आरोपियों को गिरफ्तार तथा 336 आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर करने के अतिरिक्त, 63 आरोपियों के विरुद्ध दोष-सिद्धि हो चुकी है ।

2024 के दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अक्टूबर, 2024 तक 9845 यूआरएल (जिसमें कट्टरपंथी सामग्री भी सम्मिलित है) को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं।

******